

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान जगसीर सिंह बनाम शाम कोर

प्रकरण संख्या 151/2025 अन्तर्गत धारा 212 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
--------	-----------------------------------	---

7
16/25

प्राची अधिवक्ता उपस्थित। अप्राची
बावजूद तामील उपस्थित नहीं आया।
अप्राची को रुक-रुक कर 3 बार
आवाज लगावाई गई कोर उपस्थित
नहीं आया। अप्राची के विरुद्ध
एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए
जाते हैं। प्राची अधिवक्ता की बहस
शुनी गई व चन्नावली का अवलोकन
किया गया। लिहाजा प्राची का प्रार्थना
पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA स्वीकार
किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी
निषेधाज्ञा दिनांक 30/05/2025 मूलवाद
के निर्णय तक स्थायी की जाती है।
चन्नावली निर्णय होकर सुनवाई से कम
होकर दाखिल वफतर् हो।

सहायक कलक्टर एवं फंक्शनरी
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (गंगानगर)

